Ravi's copy

123/17

गोपनीय

उत्तर मध्य रेलवे
NORTH CENTRAL RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
महाप्रबन्धक सतर्कता,
सूबेदारगंज, प्रयागराज–211015

SIV- 01/2022

पत्र सं0: 20210902203/PC/V5/N/ALD **Dated:** 02 .05.2022

प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर,
उ0म0रे0, प्रयागराज।

विषयः स्टोर/कार्य निविदाओं के अन्तर्गत प्राप्त की जानेवाली सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कराये जानेवाले Consignee Inspection को सही तरीके से किये जाने एवं उसे अत्यधिक प्रभावी बनाये जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः 1. रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2000/RS(G)/379/2 दिनांकित 09.08.2006 (प्रति संलग्न)।
2. रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2000/RS(G)/379/2 दिनांकित 27.05.2008 एवं 30.09.2009 (प्रति संलग्न)।
3. रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2000/RS(G)/379/2 दिनांकित 06.09.2017 (प्रति संलग्न)।

उ0म0रे0 के एक मण्डल के कर्षण वितरण विभाग कार्यालय द्वारा अवार्ड किये गये एक कार्य के अन्तर्गत ठेकेदार फर्म द्वारा सप्लाई किये गये एक आइटम TR Line Discharge Rod(6 nos.) के सम्बन्ध में दिनांक 28.09.2021 को किये गये सतर्कता जाँच में उक्त आइटम का निविदा में दिये गये specification के अनुसार नहीं होना पाया गया। आगे निविदा शर्तों के अनुसार उक्त निविदा में कोई भी मैटेरियल मण्डल के Sr. DEE/TRD के अनुमोदन के बिना नहीं लेना था एवं उन मैटेरियल को स्वीकार करने से पहले उनका Inspection RITES/Consignee से कराया जाना आवश्यक था, परन्तु TR Line Discharge Rod (6 nos.) आइटम ठेकेदार द्वारा उक्त निविदा अन्तर्गत दिनांक 05.07.2021 को मण्डल के TRD/WS/Store डिपो में बिना कोई Inspection कराये ही सप्लाई किया गया, जिसे उक्त डिपो के SSE इंचार्ज द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया एवं उनके द्वारा यह सुनिश्चित भी नहीं किया गया कि उक्त आइटम का Inspection फर्म द्वारा कराया गया है अथवा नहीं व उक्त आइटम निविदा शर्तों के अनुरूप मण्डल के Sr. DEE/TRD से Approve है अथवा नहीं। उक्त आइटम को TRD/WS/Store डिपो के लेजर में दिनांक 10.07.2021 को दर्ज करते हुए इसे एक अन्य डिपो को दिनांक 24.09.2021 को Issue भी कर दिया गया एवं सतर्कता जाँच के बाद मामला प्रकाश में आने पर उक्त डिपो द्वारा वह आइटम दिनांक 03.10.2021 को TRD/WS/Store डिपो को पुनः वापस कर दिया गया। बाद में TRD/WS/Store डिपो द्वारा उक्त आइटम ठेकेदार को वापस करते हुए निविदा के specification के अनुसार वह आइटम दिनांक 05.11.2021 को ठेकेदार से पुनः प्राप्त किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि Works/Store कान्ट्रैक्ट के तहत कान्ट्रैक्टर/सप्लायर के स्टोर में या साइट पर या फिर Consignee के डिपो में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये मैटेरियल का Consignee Inspection करने के लिए रेलवे के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किये गये Inspector द्वारा सामान्यतः Visual Inspection ही किया जाता है एवं इसके सापेक्ष Physical Measurement करके कुछ ही Parameters चेक किये जा सकते हैं क्योंकि Complex Technology वाले वैसे मैटेरियल जिसका Specification काफी वृहद् होता हो, को चेक करने के लिए Consignee के पास न तो Test Equipment ही मौजूद होता है और न ही इन आइटमों को कैसे चेक किया जाए, के सम्बन्ध में उस Cosignee को पूरी तरह जानकारी ही होती है। ऐसी स्थिति में मैटेरियल को साइट पर या Consignee डिपो में या फिर कान्ट्रैक्टर/सप्लायर के स्टोर में Consignee Inspection के मद में नामित किये गये Consignee Inspector से कराया जाने वाला चेक एक औपचारिकता मात्र ही बनकर रह जाता है एवं इस तरह से किये गये Inspection में गलती की सम्भावना हमेशा बने होने के

02.05.2022

साथ–साथ मैटेरियल रेलवे के स्पेशिफिकेशन के मानक के अनुसार है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में भी प्रायः संशय ही रहता है।

आगे Non-RDSO Approved स्रोतों से मैटेरियल खरीदे जाने पर उसका Inspection कराये जाने (RITES/RDSO/Consignee) के सम्बन्ध में एक दिशा–निर्देश भी RB द्वारा पत्र सं0 2000/RS(G)/379/2 दिनांक 27.05.2008 (RBS 13/2008) एवं दिनांक 30.09.2009 (RBS 11/2009) के माध्यम से जारी किया गया है जिसमें आइटम की वैल्यू कितनी होगी जिसका inspection RDSO/RITES से अनिवार्यतः कराया जाना है के साथ–साथ किन परिस्थितियों में Consignee Inspection कराया जा सकता है, के बारे में भी निर्देशित किया गया है। समय–समय पर, आइटम जिसका inspection किया जाना है, के वैल्यू में बदलाव करते हुए संशोधित निर्देश भी RB द्वारा निकाले गये हैं परन्तु RBS 13/2008 के माध्यम से जारी किये गये निर्देश के कुछ अन्य शर्तों में कोई बदलाव RB द्वारा नहीं किया गया है। अतः RB के उक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परन्तु अक्सर यह देखा गया है कि उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन विभिन्न फील्ड यूनिटों द्वारा पूर्णतः नहीं किया जाता है।

अतः स्टोर/कार्य निविदाओं के अन्तर्गत प्राप्त किये जानेवाले मैटेरियल का Inspection कराये जाने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा सन्दर्भित पत्रों (1) (2) एवं (3) में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आगे किसी निविदा में प्राप्त किये जा रहे सप्लाई आइटमों का Consignee Inspection कराया जाना किसी कारणवश यदि अपरिहार्य हो, तो वैसी स्थिति में Inspection से सम्बन्धित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये उक्त निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ इससे सम्बन्धित कुछ अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका अनुपालन किये जाने के सुझाव दिये जाते हैं जिनका विवरण निम्न है:–

(i) Consignee के माध्यम से कराये जाने वाले मैटेरियल का Inspection जहाँ तक सम्भव हो सके उसे उस आइटम को बनाने वाली फैक्ट्री के प्रांगण में या किसी Laboratory में ही कराया जाना चाहिए जहाँ उक्त मैटेरियल को test करने के लिए सम्बन्धित testing उपकरणों की व्यवस्था हो, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह आइटम रेलवे के specification के अनुसार है अथवा नहीं।

(ii) किसी कारणवश मैटेरियल को Laboratory या फैक्ट्री के प्रांगण में test किया जाना यदि सम्भव न हो, तो वैसी स्थिति में आइटम के सप्लायर से कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे– OEM's Invoice, Test Certificate, Delivery Challan, Warranty Certificate इत्यादि लेकर चेक करने के पश्चात् ही मैटेरियल के रेलवे के मानक के अनुसार होने अथवा न होने के निर्णय पर पहुँचना चाहिए।

(iii) किसी मैटेरियल के Inspection के दौरान इसके लिए नामित किये गये Inspector द्वारा उस मैटेरियल के सापेक्ष जो पैरामीटर चेक किये गये हैं, उनका विवरण एवं उन Parameters की वैल्यू Inspection Certificate में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

(iv) किसी मैटेरियल के Consignee Inspection के दौरान उस मैटेरियल के सापेक्ष कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो Consignee Inspector द्वारा चेक नहीं किया जा सकता है, तो वैसी स्थिति में वे कौन–कौन से दस्तावेज हैं जिसका उस Inspector द्वारा अवलोकन करके एक नतीजे पर पहुँचा गया कि वह मैटेरियल रेलवे के मानकों के अनुसार सही है, उन दस्तावेजों के बारे में विवरण भी Inspection Certificate में स्पष्ट तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तावित सुझावों को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशा–निर्देश जारी करते हुए उ0म0रे0 के विद्युत विभाग के सभी सम्बन्धित यूनिटों/कार्यालयों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की व्यवस्था करें।

इसे वरि0 उप महाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नकः–यथोक्त (05 पेज)

02.05.2022

(धर्मेन्द्र कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/बिजली
कृते महाप्रबन्धक सतर्कता